**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ**

**पीठासीन अधिकारी :— हरभान मीणा, आर.ए.एस**

अपील संख्या — 10/2010/223 आर टी ए

1. राजपति पत्नि स्व. काशीराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सन्दीप कुमार पुत्र स्व. काशीराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

——अपीलांट

**बनाम**

1. विद्यादेवी (पुत्री स्व. अमीलाल पुत्र नानूराम) पत्नि भूपसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

———असल रेस्पो0

2. शांतिदेवी (पुत्री स्व. अमीलाल पुत्र नानूराम) पत्नि जीराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. नारायणी देवी (पुत्री स्व. अमीलाल पुत्र नानूराम) पत्नि खिराज (फौत)

3/1 अजीत कुमार पुत्र स्व. खिराज (माता स्व. नारायणी) जाति जाट निवासी भांडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

3/2 सावित्री पुत्री स्व. खिराज (माता स्व. नारायणी) पत्नि हरीकिशन जाति जाट निवासी भगाना तहसील व जिला हिसार।

3/3 गुड्डी उर्फ राजपति पुत्री स्व. खिराज (माता स्व. नारायणी) वजीरसिंह जाति जाट निवासी चिडौद तहसील व जिला हिसार।

3/4 भतेरी पुत्री स्व. खिराज (माता स्व. नारायणी) पत्नि बलवंतसिंह जाति जाट निवासी चिडौद तहसील व जिला हिसार।

4. जयकौरी (पुत्री स्व. अमीलाल पुत्र नानूराम) पत्नि नन्दराम (फौत)

4/1 अशोक कुमार पुत्र स्व. नन्दराम (माता स्व. जयकौरी) जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

4/2 महेन्द्र पुत्र स्व. नन्दराम (माता स्व. जयकौरी) जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

4/3 विद्यादेवी पुत्री स्व. नन्दराम (माता स्व. जयकौरी) पत्नि देवीलाल जाति जाट निवासी मानावाली तहसील सरदूलगढ़ जिला मानसा पंजाब।

4/4 सुशीला पुत्री स्व. नन्दराम (माता स्व. जयकौरी) पत्नि दलीप सिंह जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

4/5 शकुन्तला पुत्री स्व. नन्दराम (माता स्व. जयकौरी) पत्नि मोहरसिंह जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

4/6 कृष्णा पुत्री स्व. नन्दराम (माता स्व. जयकौरी) पत्नि स्व. रामकुमार जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

5. तहसीलदार राजस्व भादरा।

——— रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.03.2010 न्यायालय उपखण्डाधिकारी भादरा प्र0सं0 14/05 अनवानी विद्यादेवी बनाम राजपति आदि

उपस्थित :—

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांट

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री कुलदीप बैनीवान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5

निर्णय दिनांकः—12.12.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि जो रेस्पो0 सं. 1 के पिता के नाम दर्ज थी, के संबंध घोषणा व खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 सं. 1 का वादग्रस्त भूमि 1/5 हिस्सा घोषित करते हुए दावा प्राथमिक डिक्री करते हुए अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी लिखित बहस के द्वारा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवाधक सं. 1 व 2 का निष्कर्ष वादिया/रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे पारित कर प्रश्नगत भूमि 37.09 बीघा भूमि मे 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित किया है तथा विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है। इस निर्णय व प्राथमिक डिक्री को अपास्त करने हेतु अपीलांट ने अपील ज्ञापन मे सुदृढ़ आधार अंकित किये है। अपीलांट ने

दौराने दावा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत कर स्व. नानूराम के नाम ही जमाबंदी तथा स्व. नानूराम के जीवनकाल मे अपने पुत्रो के नाम से खरीद की गई है। उक्त दस्तावेज इस अपील मे प्रश्नगत भूमि को पैतृक सम्पति एवं पैतृक सम्पति से अर्जित आय से खरीद शुदा भूमि के तथ्य को साबित करने के लिये अहम दस्तावेज है। पैतृक सम्पति होने के तथ्य हेतु अतिरिक्त साक्ष्य के रूप मे यह दस्तावेज सुसंगत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीसीसी 2016 (4) पेज 242 मे यह प्रतिपादित किया है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय को न्याय पूर्ण निर्णयन हेतु समस्त प्रलेखीय साक्ष्य का विवेचन करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य को रिकार्ड पर लिया जाना चाहिए। स्व. नानूराम ने पैतृक सम्पति की अर्जित आय से संयुक्त हिन्दू परिवार मे अपने पुत्रों के नाम से अन्य भूमि खरीद की तथा कुल 182 बीघा भूमि उनकी मृत्योपरांत उसके पांचो पुत्रो को प्राप्त हुई। प्रश्नगत भूमि 37.09 बीघा भूमि मुताबिक बंटवारा अमीलाल के हिस्सा मे आई। अधीनस्थ न्यायालय ने यह गलत अवधारणा पारित की है कि प्रश्नगत भूमि अमीलाल की खातेदारी भूमि है। अपीलांट ने यह साबित किया है कि प्रश्नगत भूमि अमीलाल की स्वअर्जित सम्पति न होकर पैतृक सम्पति है। चूंकि उक्त भूमि पैतृक सम्पति की आय से खरीद की गई थी इसलिए उक्त भूमि पैतृक सम्पति की मानी जावेगी।

4. अपीलांट के पति व अपीलांट सं. 2 के पिता स्व. काशीराम स्व. अमीलाल के दत्तक पुत्र है। वादिया/रेस्पो. सं. 1 ने इस तथ्य को स्वीकार किया है। दत्तक ग्रहिता पिता की पैतृक सम्पति मे दत्तक पुत्र का बतौर सहदायिक बहिस्सा बराबर का हक होता है। इस प्रकार कुल 37.09 बीघा भूमि मे स्व. काशीराम का अपने दत्तक ग्रहिता पिता स्व. अमीलाल के जीवनकाल मे 1/2 हिस्सा निहित हो चुका था तथा स्व. अमीलाल का शेष 1/2 हिस्सा ही उनकी मृत्योपरांत उसके पांच वारिसों को न्यायगत हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने कुल 37.09 बीघा मे रेस्पो0 सं. 1 का 1/5 हिस्सा घोषित किया

है जो विधि विरूद्ध है। अपीलांट की यह स्पष्ट जवाबदेही रही है कि स्व. अमीलाल की चारो पुत्रियों ने अपने पिता स्व. अमीलाल के देहान्त उपरांत अपना हक अपने दत्तक भाई स्व. काशीराम के पक्ष मे तर्क कर दिया था तथा इसी कारण यह भूमि स्व. काशीराम के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई। इन तथ्यो को रेस्पो0 सं. 2 ता 5 ने जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए स्वीकार किया है। यदि वास्तव मे स्व. अमीलाल की पुत्रियों द्वारा अपना हक अपने भाई के पक्ष मे तर्क न किया गया होता तो रेस्पो0 सं. 2 ता 5 द्वारा अपना हक तर्क किये जाने की स्वीकारोक्ति नही की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने कुल भूमि मे अपीलांट का 4/5 हिस्सा माना है जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि तीन बहिनो का हिस्सा स्व. काशीराम को प्राप्त हो चुका है। संयुक्त हिन्दू परिवार मे कोई सदस्य अपना हक मौखिक रूप से भी तर्क कर सकता है तथा सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 9 के अनुसार मौखिक तर्क भी मान्य है। वादपत्र मे वादिया/रेस्पो0 सं. 1 ने प्रश्नगत भूमि पर अपने पिता की मृत्यु उपरांत संयुक्त कब्जा होने का कोई कथन नही किया तथा न ही अपनी साक्ष्य मे इस भूमि पर अपना कब्जा होना साबित किया है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे RRD 2010 Page 686, RRD 2014 Page 74, CCC 2016(4) Page 242, AIR 2003 Page 180, AIR 2003 Page 245, CCC 2013(3) Page 730, RRD 2001 Page 192, RRD 2016 Page 151, DNJ 1997 (2) Page 677, AIR 1952 Patna Page 66, AIR 1965 Bombay Page 74, RRD 1989 Page 519 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने लिखित बहस के द्वारा कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा प्रस्तुत वाद मे अधीनस्थ न्यायालय ने वाद मे कुल 3 तनकीयात कायम की। जिसमे तनकी सं. 1 व 2 को रेस्पो0 सं. 1 ने जबानी एवं दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी साबित की थी। वादग्रस्त भूमि जो रेस्पो0 सं. 1 के पिता स्व. अमीलाल के नाम दर्ज थी जिसमे रेस्पो0 सं. 1 का दत्तक पुत्र स्व. काशीराम एवं रेस्पो0 सं. 2 ता 5 के बहिस्सा

बराबर का हक हिस्सा है। हिन्दू उत्तराधिकार नियम 1956 की धारा 8 के अनुसार वादिया अमीलाल की प्रथम श्रेणी की वारिस साबित है तथा वह नियमानुसार वादग्रस्त भूमि मे 1/5 हिस्सा प्राप्त करने अधिकारी है तथा इसी अनुसार खाता विभाजन करवाने की अधिकारी है। निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.03.2010 मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है तथा बहाल रखे जाने योग्य है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपीलांट ने अपने जुम्मे तनकी सं. 2 को किसी प्रकार अपने जबानी एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नही किया है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी भूमि साबित हो अपने दस्तावेज मे प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 का हक त्याग उनका वादग्रस्त भूमि 3/5 हिस्सा मानते हुए स्वीकार किया है तथा अपने ब्यानो के प्रतिपरीक्षा वादग्रस्त भूमि अमीलाल की होना स्वीकार की है तथा वादिया की तरफ से कोई हक त्याग का विलेख पेश नही किया। जिससे साबित हो कि वादिया रेस्पो0 सं. 1 ने काशीराम के पक्ष मे तर्क कर दिया हो।

6. अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी नियम विरूद्ध पेश किया है। उक्त दस्तावेज से किसी प्रकार वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की साबित नही है। जबकि 3/5 हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 यानि रेस्पो0 सं. 2 ता 4 का सही मानते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निर्विवादित माना है तथा फिर वादिया रेस्पो0 सं. 1 का 1/5 हिस्सा होना कानून कैसे विवादित होता है। जबकि वादिया रेस्पो0 सं. 1 ने कोई हक तर्क प्रतिवादीगण सं. 1 व2 अपीलांट के पक्ष मे नही किया है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज किया जाकर अपील अपीलांट खारिज की जावें।

7. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि

वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 ता 4 के पिता स्व. अमीलाल के नाम दर्ज थी तथा अपीलांट सं. 1 के पति व अपीलांट सं. 2 का पिता स्व. काशीराम स्व. अमीलाल का दत्तक पुत्र है। रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर उक्त भूमि जो रेस्पो0 सं. 1 अमीलाल के नाम से दर्ज थी, मे अपने हक हिस्सा 1/5 हिस्सा की घोषणा एवं विभाजन हेतु अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर रेस्पो0 सं. 1 का वादग्रस्त भूमि मे 1/5 हिस्सा घोषित कर दावा प्राथमिक डिक्री किया गया। अधिवक्ता का अपीलांट कथन है कि अपीलांट के पति व पिता स्व. काशीराम स्व. अमीलाल के दत्तक पुत्र है तथा वादग्रस्त भूमि मे अमीलाल के साथ बहिस्सा बराबर हकदार है तथा वादग्रस्त भूमि मे काशीराम का 1/2 हिस्सा निहित हो चुका था। वादग्रस्त भूमि मे शेष 1/2 हिस्से मे अमीलाल की चारो पुत्रियों द्वारा अपना हक दत्तक भाई काशीराम के पक्ष मे तर्क कर दिया। इसलिए समस्त वादग्रस्त भूमि काशीराम के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 37.09 बीघा भूमि मे रेस्पो0 सं. 1 का 1/5 हिस्सा घोषित कर दिया। जबकि वादग्रस्त भूमि मे काशीराम का दत्तक ग्रहिता पिता के साथ बहिस्सा बराबर यानि 1/2 हिस्सा निहित हो चुका था। अमीलाल की मृत्यु के उपरांत शेष 1/2 हिस्से मे रेस्पो0 सं. 1 का 1/5 हिस्सा घोषित किया जाना चाहिए था।

8. अपीलांट ने कथनानुसार भूमि मे अमीलाल की तीन पुत्रियों द्वारा अपने हक व हिस्से का त्याग काशीराम के पक्ष मे कर दिया गया है। जबकि अमीलाल की तीनो पुत्रियों द्वारा काशीराम के पक्ष मे हक त्याग के फलस्वरूप मात्र काशीराम के हिस्से मे वृद्धि नही होकर अमीलाल के शेष उत्तराधिकारी काशीराम एवं विद्यादेवी का बराबर हिस्सा रह जावेगा। उक्तानुसार अमीलाल के नाम की कुल 37.09 बीघा पैतृक भूमि मे से 1/2 हिस्सा काशीराम का माने जाने पर भी अमीलाल के शेष 1/2 मे से रेस्पो0 सं. 1 विद्यादेवी एवं काशीराम का समभाग अर्थात 1/2 हिस्से की गणना करने पर लगभग

9.02 बीघा भूमि विद्यादेवी के हिस्से मे आती है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया/रेस्पो0 सं. 1 को 37.09 बीघा कुल पैतृक भूमि मे 1/5 हिस्सा मानते हुए रेस्पो0 सं. 1 को 7.04 बीघा दी गई है। परन्तु वादिया/रेस्पो सं. 1 विद्यादेवी की अपने वादपत्र मे अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय के समक्ष हक त्याग के संबंध मे उक्त वर्णित अनुसार प्लीडिंग नही किये जाने के कारण इस न्यायालय द्वारा रेस्पो सं0 1 को 9.02 बीघा भूमि के आदेश किया जाना विधिसम्मत नही होगा। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से वादिया/रेस्पो0 सं. 1 को वादग्रस्त भूमि मे 1/5 हिस्सा यानि 7.04 बीघा की खातेदार घोषित किया गया है जो हक त्याग के फलस्वरूप गणना करने उपरांत मिलने वाले हिस्से की तुलना मे कम है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश मे हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। ऐसी स्थिति मे अपील मे वर्णित तथ्य सिद्ध नही होने के कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

9. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.03.2010 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या – 10/2010/223 आर टी ए

3. राजपति पत्नि स्व. काशीराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

4. सन्दीप कुमार पुत्र स्व. काशीराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

**बनाम**

6. विद्यादेवी (पुत्री स्व. अमीलाल पुत्र नानूराम) पत्नि भूपसिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–––असल रेस्पो0

7. शांतिदेवी (पुत्री स्व. अमीलाल पुत्र नानूराम) पत्नि जीराम जाति जाट निवासी भाडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

8. नारायणी देवी (पुत्री स्व. अमीलाल पुत्र नानूराम) पत्नि खिराज (फौत)

3/1 अजीत कुमार पुत्र स्व. खिराज (माता स्व. नारायणी) जाति जाट निवासी भांडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

3/2 सावित्री पुत्री स्व. खिराज (माता स्व. नारायणी) पत्नि हरीकिशन जाति जाट निवासी भगाना तहसील व जिला हिसार।

3/3 गुड्डी उर्फ राजपति पुत्री स्व. खिराज (माता स्व. नारायणी) वजीरसिंह जाति जाट निवासी चिडौद तहसील व जिला हिसार।

3/4 भतेरी पुत्री स्व. खिराज (माता स्व. नारायणी) पत्नि बलवंतसिंह जाति जाट निवासी चिडौद तहसील व जिला हिसार।

9. जयकौरी (पुत्री स्व. अमीलाल पुत्र नानूराम) पत्नि नन्दराम (फौत)

4/1 अशोक कुमार पुत्र स्व. नन्दराम (माता स्व. जयकौरी) जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

4/2 महेन्द्र पुत्र स्व. नन्दराम (माता स्व. जयकौरी) जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

4/3 विद्यादेवी पुत्री स्व. नन्दराम (माता स्व. जयकौरी) पत्नि देवीलाल जाति जाट निवासी मानावाली तहसील सरदूलगढ़ जिला मानसा पंजाब।

4/4 सुशीला पुत्री स्व. नन्दराम (माता स्व. जयकौरी) पत्नि दलीप सिंह जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

4/5 शकुन्तला पुत्री स्व. नन्दराम (माता स्व. जयकौरी) पत्नि मोहरसिंह जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

4/6 कृष्णा पुत्री स्व. नन्दराम (माता स्व. जयकौरी) पत्नि स्व. रामकुमार जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

10. तहसीलदार राजस्व भादरा।

——— रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.03.2010 न्यायालय उपखण्डाधिकारी भादरा प्र0सं0 14/05 अनवानी विद्यादेवी बनाम राजपति आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांट, श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 एवं श्री कुलदीप बैनीवान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.03.2010 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 12.12.2017 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
`हनुमानगढ